– Geospatial
– DMC

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2011/फाल्गुन 30, 1932 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 312
No. 52] DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2011/PHALGUNA 30, 1932 [N.C.T.D. No. 312

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 21 मार्च, 2011

फा. सं. 21(2)/2011/एलएएस-IV/लेग/3240.— निम्नलिखित सर्व साधारण हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली भू-आकाशीय आंकड़ा अवसंरचना (प्रबंधन, नियंत्रण, प्रशासन सुरक्षा एवं संरक्षण) अधिनियम, 2011

(बिल संख्या : 02, 2011)

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 21 मार्च, 2011 को पुरःस्थापित किया गया)

दिल्ली में सार्वजनिक सुविधाओं जिसमें सड़क, जल, जल-मल, बिजली, दूरभाषीय संचार/इंटरनेट सेवाएं तथा अन्य उपयोगी सेवाएं, भू-राजस्व अभिलेख संपत्ति विवरण, संपत्ति स्वामित्व तथा इसी प्रकार की जानकारी की दृष्टि से दिल्ली के लिए एक भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय मानचित्र, भू-आकाशीय प्रणाली, भू-आकाशीय अनुप्रयोग, भू-पोर्टल, प्रबंधन तथा साझा करने के लिए जीओ स्पेटियल दिल्ली लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत निकाय, को दायित्व सौंपना, विभागों, निगमों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बोर्डों, स्थानीय निकायों, सरकारी अधिकरणों, सरकारी या निजी अभिकरणों आदि में इसके प्रयोग तथा जिओ-स्टेटियल डाटा को अद्यतन करना अनिवार्य बनाना, दिल्ली के समुचित, समन्वित नियोजन एवं विकास के लिए एक विनियामक अधिकरण तथा अपीलीय अधिकरण की स्थापना करना तथा इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक;

जबकि, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा प्रभाग) विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 14-7-2010 के पत्र द्वारा आंकड़ा बैंक को साझा तथा सुलभ करवाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई है तथा कहा है कि जो आंकड़ा बैंक सार्वजनिक धन की लागत से सरकार के विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों ने तैयार किया है उसे जनहित के लाभ के लिए साझेदारी तथा उपयोग किया जाए;

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सभी संबंधित सूचनाओं की सुलभता के लिए समेकित भू-आकाशीय सूचना प्रणाली विकसित की है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भू-राजस्व रिकार्ड, भू-प्रयोग, संपत्ति विवरण, उपयोगी सेवाएं, आधारभूत संरचना आदि जैसी सूचनाएं शामिल हों। जो भारत सर्वेक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत सरकार के विशेषज्ञ मार्ग दर्शन में दिल्ली सरकार के दिनांक 13-11-2007 के मंत्री मंडल निर्णय से 1302 के अनुसरण में हो;

और जबकि, दिल्ली भू-आकाशीय डाटा तथा इसकी सूचनाओं का प्रयोग दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, मण्डलों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक अधिकरणों दिल्ली में सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी तथा निजी अभिकरणों द्वारा

सुशासन के बेहतर नियोजन एवं प्रबंधन के लिए किया जा सकता है ।

भारतीय गणराज्य के 62वें वर्ष के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए :—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली भू-आकाशीय आंकड़ा अवसंरचना (प्रबंधन, नियंत्रण, प्रशासन सुरक्षा एवं संरक्षण) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है।

(3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, संदर्भ से जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अपीलीय प्राधिकरण" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 19 के अनुसार नियुक्त अधिकारी;

(ख) "एट्रीब्यूट" का अर्थ है स्थानीय स्वरूप से संबंधित अर्हक डाटा तथा कोई गैर स्थानीय या स्वरूपगत डाटा जो नक्शे के लक्षणों से संबंधित होगा;

(ग) "कंपनी" का अर्थ है भू-आकाशीय दिल्ली लिमिटेड जिसका संपूर्ण स्वामित्व सरकार का है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत है;

(घ) "दिल्ली" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली;

(ङ) "विकास कार्य" में निर्माण गतिविधि, खुदाई कार्य तथा किसी संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सरकारी अधिकरण तथा लोक उपयोगिता सेवा जैसे तारें बिछाना, पानी की पाइप लाइन, मल-जल लाइन, गैस पाइप लाइन आदि का कार्य करने वाली सरकारी और निजी अभिकरण द्वारा किये जाने वाला कार्य ;

(च) "भू-पोर्टल" का अर्थ है भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक प्राप्त करने के लिए दिल्ली भू-आकाशीय मैप सर्वर या सर्वर अनुप्रयोग तथा नियंत्रण केन्द्र या निगरानी केन्द्र की सुनिश्चित प्रणाली पर क्रियाशील अनुप्रयोग;

(छ) "भू-आकाशीय अनुप्रयोग" में सरकार की विशिष्ट प्रशासनीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक के प्रयोग हेतु विकसित अनुप्रयोग;

(ज) "भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक" में त्रीय-आयाम भू-स्थानीय सूचना प्रणाली आती है दिल्ली की भू-सूचना प्रणाली जैसे भू-राजस्व अभिलेख, भू-स्वामित्व आदि, तथा नगर सूचना प्रणाली भी है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संपत्ति विवरण, संपत्ति स्वामित्व, पाइप लाइन, मल-जल लाइन, सड़क, पुल, पानी की टंकियों तथा इस प्रकार की सूचनाएं, आधार मानचित्र, संबंधित विभाग, स्थानीय निकायों, सरकारी अधिकरणों, सार्वजनिक तथा निजी एजेंसियों को तथा उनके द्वारा हार्डकॉपी, साफ्टकॉपी तथा इलैक्ट्रॉनिक संचारण स्वरूप में उपलब्ध कराया जायेगा;

(झ) "भू-आकाशीय मानचित्र" जिसमें दिल्ली का द्वि-आयाम या त्रीय-आयाम मानचित्र सम्मिलित है और जिसे एरियल फोटोग्राफी, फोटोग्रामेट्री की मदद से द्वि-आयाम या त्रीय-आयाम टोपोलॉजी एवं संरचना के साथ सृजित, किया गया है और इसमें ऑर्थो-फोटो वैक्टोराइजेशन, वैलीडेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मॉडल सम्मिलित हों ताकि प्रक्षिप्त क्षेत्र का द्वि-आयाम या त्रीय-आयाम मानसदर्शन उपलब्ध कराया जा सके;

(ञ) "भू-आकाशीय प्रणाली" का संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक तथा निजी अभिकरण के यांत्रिकृत उचित संपर्क के साथ नियंत्रण केन्द्र तथा निगरानी केन्द्र के लिए हार्डवेयर, साफ्टवेयर, आकाशीय आंकड़ा बैंक अनुप्रयोग, सर्वेक्षण प्रणाली तथा सम्बद्ध सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण सम्मिलित हैं ।

(ट) "सरकार" का अर्थ है अधिनियम 239 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल तथा संविधान के अधिनियम 239एए के अंतर्गत यथापरिभाषित;

(ठ) "संबंधित विभाग" में दिल्ली सरकार के विभाग, निगम, मण्डल सम्मिलित हैं जिन्हें प्राधिकृत नियंत्रण के माध्यम से आधार मानचित्र का अभिगमन करने का अधिकार है;

(ड) "स्थानीय निकाय" में सम्मिलित है—कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण, नगर निगम, दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, टाउन प्लानिंग प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण या अन्य कोई निकाय या अन्य किसी नाम वाली प्राधिकरण, चाहे उसे कुछ समय के लिए कानून द्वारा दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता की आवश्यक सेवा प्रदान करने या नियंत्रित या प्रबंध या नागरिक सेवा में लगाया गया हो;

(ढ) "निगरानी केन्द्र" का अर्थ है—जीवित अभिलेख, बिल्डिंग, रियल स्टेट तथा अन्य सम्पत्तियों की निगरानी के लिए स्थापित इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा या अन्य किसी माध्यम से एकत्रित डेटा के प्राप्त तथा स्थानीय अभिलेख सृजन पर परिवर्तन का पता लगाया जा सके;

(ण) "अधिसूचना" का अर्थ है सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(त) "सार्वजनिक एवं निजी अधिकरण" में सम्मिलित हैं—सार्वजनिक या निजी बिजली वितरण कंपनियां, सार्वजनिक या निजी दूर संचार सेवाएं, इंटरनेट सर्विस उपलब्धकर्ता तथा अन्य;

(थ) "सार्वजनिक प्राधिकरण" का अर्थ है—स्व शासन स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्था (i) संविधान द्वारा या अंतर्गत; (ii) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; (iii) विधान सभा या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा और (iv) अधिसूचना द्वारा या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश द्वारा तथा जिसमें सम्मिलित है—

(क) सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या आंशिक रूप से वित्त निकाय;

(ख) सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आंशिक रूप से वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठन;

(ग) कोई संगठन या व्यवसायिक निकाय, जैसाकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वर्णित है। जो जनोपयोगिता की सेवाएं प्रदान करते हैं;

(घ) "विनियय" का अर्थ है-अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत विनियामक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम ।

(न) "विनियामक प्राधिकरण" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत गठित दिल्ली आकाशीय आंकड़ा बैंक विनियामक प्राधिकरण।

(प) "नियम" का अर्थ है अधिनियम के अनुसार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए नियम ।

(फ) "अनुसूची" का अर्थ है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची;

(ब) "उपयोगिता मानचित्र दर्शिता" का अर्थ है भूतल अनुसंधान रेडार तथा भूतल सर्वे एवं सर्वे के अन्य प्रकार का प्रयोग करते हुए भूतल, भूमिगत या ऊपरी भूमि से संबंधित उपयोगिता जैसे-पानी की पाइप लाइन, मल-जल लाइन, केबल्स का भू-आकाशीय आंकडा संग्रह की मानचित्र दर्शिता तथा सृजन।

(भ) "उपयोगित सेवाएं " में पानी, मल-जल, बिजली तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं।

अध्याय-II

भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक की अनिवार्य साझेदारी, अभिगमन, उपयोगिता तथा अध्यतन ।

3. भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक की अनिवार्य साझेदारी, अभिगमन, उपयोगिता तथा अध्यतन.—(1) दिल्ली में सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी तथा सार्वजनिक अभिकरण निम्न सुनिश्चित करेंगे—

(क) कि उनसे संबंधित विभिन्न भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय आंकड़ा संग्रह में सम्मिलित कर दिये गये हैं;

(ख) उचित समन्वित परियोजना, प्रबंध तथा अपनी प्रशासनिक व सांविधिक प्रकार्य के भाग के रूप में प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के लिए भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक तथा भू-आकाशीय मानचित्र का उपयोग करेंगे ।

(ग) इस अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक का अध्यतन तथा भू-आकाशीय मानचित्र सृजन, अनुरक्षण तथा प्रबंधन के लिए वास्तविक समय के आधार पर निरंतर अपने से संबंधित आंकड़ा बैंक का अध्यंतन करेंगे ;

(घ) इस अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप अपने से संबंधित आंकड़ा बैंक को भू-आकाशीय तथा सृजित, अनुरक्षित तथा प्रबंधित भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक तथा भू-आकाशीय मानचित्र का सम्पर्क सुनिश्चित करना ।

(ङ) भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक की संरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना।

अध्याय-III

सार्वजनिक सेवा एवं सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा

4. सार्वजनिक सेवा एवं सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा—(1) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक सेवा एवं सार्वजनिक उपयोगिता की वे सेवाएं सम्मिलित हैं जो सरकार के संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सरकारी अधिकरण, सरकारी तथा निजी अभिकरण प्रदान करती है तथा अनुसूची में सूचीबद्ध है ।

(2) विनियामक प्राधिकरण की सिफारिश पर सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक सेवा को अनुसूची में शामिल कर सकती है ।

अध्याय-IV

कम्पनी का सशक्तिकरण एवं अधिनियम के अन्तर्गत इसके कार्य

5. सशक्तिकरण.—(1) दिल्ली के लिए, भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय मानचित्र, भू-आकाशीय प्रणाली, भू-आकाशीय अनुप्रयोग, भू-पोर्टल, जिसमें कि राजस्व अभिलेख, सार्वजनिक जनोपयोगी सुविधाएं जिनमें सड़कें, जल, मल-जल, विद्युत, दूरसंचार/इन्टरनेट सेवाएं और अन्य जनोपयोगी सेवाओं सहित संपत्ति का विवरण, संपत्ति का स्वामित्व और इस प्रकार अन्य का सृजन करने, अध्यतन करने, प्रबंधन, प्रसारण एवं हिस्सेदारी के प्रयोजनार्थ कम्पनी इस अधिनियम के प्रारंभ होने के उपरांत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एवं कम्पनी के अन्तर्नियमों से ऐसे यथावश्यक संशोधनों द्वारा सरकार द्वारा सशक्त होगी ।

6. कम्पनी के प्रकार्य :—कम्पनी सरकार के लिए भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय मानचित्र, भू-आकाशीय प्रणाली और भू-पोर्टल तथा अनुप्रयोग विकसित करेगी और:—

(क) संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी अभिकरणों, व्यक्तिगत इत्यादि के आंकड़ा बैंक का उपयुक्त प्रयोग करेगी जैसा कि दिल्ली के नागरिकों के हित के लिए सरकार द्वारा अधिकृत है;

(ख) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपनाएगी और अनुरक्षित करेगी जो कि दिल्ली आकाशीय आंकड़ा बैंक अवसंरचना परियोजना में तैयार और प्रयोग होगा ;

(ग) सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं से प्राप्त परिवर्तन के अनुरोध के आधार पर भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक को अध्यतन करना;

(घ) बेहतर समन्वित योजना, उपयोगिता तथा स्रोतों के अनुरक्षण के लिए सरकार तथा भारत सरकार को बहुमूल्य सेवाएं तथा परामर्श प्रदान करना;

(ङ) संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक तथा निजी अभिकरणों तथा भारत के नागरिकों के लिए आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय मानचित्र, भू-आकाशीय अनुप्रयोगों तथा अन्य के लिए वसूले जाने वाले प्रभार, शुल्क, लागत के. मॉडल राजस्व की रूपरेखा तैयार करना;

7. **कम्पनी का प्रशासनिक नियंत्रण** :—कम्पनी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से सरकार के संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगी और वह समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नीतियों, दिशा निर्देशों, निर्देशों से बाध्य होगी ।

अध्याय-V

आंकड़ा बैंक का प्रबंधन, उपयोगिता और अभिगमन

8. **संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, सार्वजनिक तथा निजी अभिकरणों तथा जन-साधारण द्वारा भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक का अभिगमन**—(1) एट्रीब्यूट आंकड़े के साथ-साथ अपने आकाशीय आंकड़े का उपयोग, अध्यतन को अभिगमन नियंत्रण के माध्यम से प्रत्येक संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक तथा निजी संस्थान को भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय मानचित्र तथा भू-आकाशीय अनुप्रयोग का अभिगमन कर सकेंगे ;

(2) प्रत्येक संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक तथा निजी अभिकरण प्रभार, शुल्क, लागत का भुगतान कर आकाशीय तथा एट्रीब्यूट आंकड़े विविध रूपों में दोनों को डाउन लोड कर सकते हैं जैसे-पोर्टेबल कागजात फार्मेट तथा उसी प्रकार उनका आंतरिक प्रयोग तथा अनुप्रयोग;

(3) सरकार सामान्य रूप से जनसाधारण, निजी व्यक्ति, सार्वजनिक एवं निजी अभिकरण को भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय मानचित्र तथा भू-आकाशीय अनुप्रयोग के नियंत्रित अभिगमन की अनुमति देगी जोकि इस अधिनियम में बनाये गये नियमानुसार होगा ।

बशर्ते कि सरकार भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय मानचित्र, भू-आकाशीय अनुप्रयोगों को प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित संवर्गों में वर्गीकृत करने के लिए अधिकृत है और जन साधारण, निजी व्यक्ति, सार्वजनिक एवं निजी अभिकरण को इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुरूप अप्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत आंकड़ा बैंक का अभिगमन करने की अनुमति प्रदान करें;

आगे उपलब्ध है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना के प्रदर्शन के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा बनाए गए नीतियों, दिशानिर्देशों, नियमों, विनियमों इत्यादि के प्रति बाध्य होगी।

9. **संबंधित विभाग स्थानीय निकाय इत्यादि के साथ सेवा स्तरीय अनुबंध या अन्य अनुबंध**—(1) इस अधिनियम के उद्देश्य को हासिल करने के लिए कम्पनी दिल्ली में सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा प्रदान करने के लिए किसी संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक तथा निजी अभिकरण के साथ सेवा स्तरीय अनुबंध या अन्य अनुबंध कर सकती है।

(2) कम्पनी संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक तथा निजी अभिकरण को भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय मानचित्र, भू-पोर्टल, भू-आकाशीय प्रणाली, भू-आकाशीय अनुप्रयोगों के सुरक्षित कुन्जी के माध्यम से अपने से संबंधित आंकड़ा बैंक सम्पति के प्रयोग व अध्यतन के लिए प्राधिकृत कर सकती है ताकि इसकी उपयोगिता और मूल्य में वृद्धि हो सके ।

(3) प्रत्येक संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक तथा निजी अभिकरण नियमित आधार व समय पर एट्रीब्यूट डेटा का अध्यतन करेंगे। विफलता की स्थिति में, विनियम प्राधिकरण कर्मचारियों तथा/या संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक तथा निजी अभिकरण के विरुद्ध विनियमों में उपबंधित रूप में कार्रवाई कर सकेगा ।

(4) प्रत्येक संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक एवं निजी अभिकरण जो सार्वजनिक सेवा प्रदान कर रही है उनके लिए भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय मानचित्र, भू-आकाशीय अनुप्रयोग, भू-आकाशीय प्रणाली तथा भू-पोर्टल का उपयोग अनिवार्य है।

(5) प्रत्येक व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी जो भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय मानचित्र, भू-पोर्टल, भू-आकाशीय प्रणाली, भू-आकाशीय अनुप्रयोग को अभिधमन करने के लिए प्राधिकृत हैं वे प्रयोग, अध्यतन तथा प्रशासनिक प्रयोग के समय अपने डिजिटल हस्ताक्षर, सुरक्षित कुन्जी या इसी प्रकार का प्रयोग करेंगे ।

(6) ऐसे सभी विभागों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए यह अनिवार्य है कि वे यथा संभव कागजरहित व्यवस्था सुनिश्चित करें जैसाकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अन्तर्गत इ-गवर्नेन्स की नीति में उल्लिखित है।

अध्याय-VI

10. **भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक का अनुप्रयोग तथा उपयोगिता**—(1) सरकार कम्पनी के परामर्श से इस अधिनियम के

अन्तर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों की स्कीम के अनुरूप भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक तथा भू-आकाशीय मानचित्र से संबंधित विभिन्न भू-आकाशीय अनुप्रयोग प्रतिपादित करेगी :

बशर्ते ये सभी स्कीमें अनुमोदन हेतु कम्पनी द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएं और तभी प्रभावी होंगी यदि इन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया हो ।

(2) संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक एवं निजी अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई भी ठेकेदार कम्पनी को ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा दिल्ली में तभी कोई विकास कार्य प्रारम्भ कर सकेगा, जब उसे विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त हो गई हो । संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक तथा निजी अभिकरण जो इस अधिनियम के अन्तर्गत भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक के उपयोग या अभिगमन के लिए प्राधिकृत है और कार्य के विकास की प्रगति के साथ प्रस्तावित परियोजना के विकास के संबंध में सूचना प्रदान एवं निरन्तर अद्यतन के लिए जिम्मेदार है जिसे विशिष्ट पहचान संख्या द्वारा पहचाना जा सकता है जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम के अनुरूप ऑनलाइन प्राप्त और बनाया जा सकता है।

(3) उप-धारा (2) के तहत विशिष्ट पहचान संख्या ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है और कम्पनी में प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान इनकी प्राप्ति से 15 दिनों के अन्दर किया जाएगा:

बशर्ते कम्पनी निदेशक मंडल द्वारा निर्णीत तथा नियत दर से आवेदन शुल्क चार्ज करने के लिए प्राधिकृत होगी और जिसका भुगतान दिल्ली में किसी विकास कार्य को प्रारम्भ करने वाले इच्छुक ठेकेदार, व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस पद्धति से समय-समय पर नियत दर संशोधित करने के लिए कम्पनी प्राधिकृत है । ऐसे आवेदन के शुल्क की दर या संशोधित आवेदन शुल्क अधिसूचना द्वारा विधिवत घोषित की जाएगी ।

(4) इस अधिनियम के अंतर्गत भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक तथा अन्य को अभिगमन करने वाले संबंधित विभाग, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण तथा सार्वजनिक तथा निजी अभिकरण का कर्तव्य है कि वह वर्ष की प्रत्येक तिमाही में विनियामक प्राधिकरण को लिखित रूप से प्रमाणित करे कि विकासात्मक क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप बनाए गए सभी भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक तथा एट्रीब्यूट आंकडे अद्यतन है ।

अध्याय-VII

विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

11. दिल्ली आकाशीय डेटा विनियामक प्राधिकरण :— सरकार की ओर से अधिसूचित तिथि से इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए स्थापित प्राधिकरण को 'दिल्ली आकाशीय डेटा विनियामक प्राधिकरण' के रूप में जाना जाएगा (बाद में इसे "विनियामक प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) ।

12. विनियामक प्राधिकरण का संघटन:—सरकार विनियामक प्राधिकरण का गठन करेगी और नामत: निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) सरकार के मुख्य सचिव, सदस्य पदेन अध्यक्ष के रूप में;

(ख) भारत के महा सर्वेक्षक, सदस्य के रूप में ।

(ग) सचिव, वित्त विभाग, दिल्ली सरकार, सदस्य के रूप में;

(घ) सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार, सदस्य के रूप में;

(ङ) सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, दिल्ली सरकार, सदस्य के रूप में;

(च) सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली सरकार, सदस्य सचिव के रूप में;

13. सहायक प्रशसनिक अधिकारी, परामर्शदाता, विशेषज्ञ, सलाहकार इत्यादि नियुक्त करने की शक्ति:—विनियामक प्राधिकरण आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, विधिक, वित्त तथा अन्य सहित ऐसे अधिकारी, परामर्शदाता, विशेषज्ञ, सलाहकार इत्यादि को अपनी सहायता हेतु नियुक्त कर सकती है जो इस अधिनियम के दायित्व को पूरा करने के लिए विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए हैं ।

14. विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय की अवधि तथा इसके सदस्य :—विनियामक प्राधिकरण और/या इसके सदस्यों के कार्यालय के कार्यकाल का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा जैसाकि निर्धारित है :

बशर्ते कि विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय में किसी व्यक्ति ने पैंसठ वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो ।

15. वेतन एवं भत्ते :—धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों को देय वेतन तथा भत्तों एवं निबंधन व शर्तों का निर्धारण सरकार द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा :

शर्त यह है कि सरकार विनियामक प्राधिकरण को इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्य कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए यथावश्यक ऐसे अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी ।

16. विनियामक प्राधिकरण की शक्ति, कर्त्तव्य एवं दायित्व :— इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनियामक प्राधिकरण के निम्नलिखित विषयों के संबंध में नीतियां, योजना और दिशा-निर्देश/मार्ग-निर्देश निर्धारित करने के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात् :—

(क) सरकार द्वारा यथा-सृजित भू-आकाशीय प्रबंधन;

(ख) जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक तथा निजी अभिकरणों द्वारा भू-आकाशीय आंकड़े, भू-ओकाशीय अनुप्रयोग, भू-पोर्टल की हिस्सेदारी एवं अभिगमन को नियंत्रण करने वाले सेवा प्रभार, शुल्क, लागत सहित शर्तें;

(ग) मूलभूत आंकड़ों के विभिन्न अनुप्रयोग एवं उपयोगिता का कार्यक्षम अनुकूलन;

(घ) भू-आकाशीय प्रणाली से संबंधित सुरक्षा संहिता का निर्धारण;

1037 DG/11—2

(ङ) दिल्ली में सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संबंधित विभाग स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक एवं निजी अभिकरणों तथा सरकार और उनके संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा सुरक्षा संहिता के उल्लंघन की स्थिति में उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही निश्चित करना;

(च) भू-आकाशीय प्रणाली के विकास हेतु इसकी नीति और योजना का प्रवर्तन एवं क्रियान्वयन और इसके आगामी अनुप्रयोग तथा सदुपयोग;

(छ) दिल्ली में जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले विभिन्न संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक तथा निजी अभिकरण के बीच या मध्य मूलभूत आंकड़े अभिगमन में पहुंच, अनुप्रयोग और अद्यतन में हिस्सेदारी को विनियंत्रित करने वाले किसी विवाद की स्थिति में अधिनिर्णय करने वाले प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;

(ज) दिल्ली में जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले विभिन्न प्रमुख विभागों स्थानीय निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक निजी अभिकरण तथा इस/इन के अधिकारीगण की ओर से इस अधिनियम, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा/अथवा विनियमों के किन्हीं उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करने की स्थिति में एक अनुशासनिक निकाय के रूप में कार्य करना तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार दंड आरोपित करना :

शर्त यह है कि इस प्रकार के सभी निर्णय बहुमत से विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए जाएंगे ।

17. प्रक्रिया :—(1) कोई प्रतिकूल आदेश पारित करने से पूर्व विनियामक प्राधिकरण कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगेगा जिसके लिए कम से कम पंद्रह दिन दिए जाएंगे ।

(2) यदि कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या प्रस्तुत स्पष्टीकरण विनियामक प्राधिकरण के अभिमत से संतोषजनक नहीं है, तो प्राधिकरण अनुशासनिक तथा/अथवा अधिनिर्णय संबंधी, जैसी भी स्थिति हो, तथा सम्बद्ध विषय पर जांच का निदेश देकर कार्रवाई प्रारम्भ करेगा ।

(3) विनियामक प्राधिकरण के समक्ष उत्पन्न विवाद के संबंध में जांच करते समय विनियामक प्राधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों या साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंधों के प्रति बाध्य नहीं होगा । विनियामक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण करेगा तथा सम्बद्ध पक्षों को अपनी-अपनी बात सिद्ध एवं प्रमाणित करने के लिए पूरा-पूरा अवसर दिए जाएंगा ।

(4) विनियामक प्राधिकरण पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रकरण, विवाद के तथ्यों, विनियामक प्राधिकरण द्वारा पता लगाए गए तथ्यों का पता लगाने के कारण तथा अन्तिम निर्णय संबंधी स्पष्ट आदेश पारित करेगा ।

(5) अपने प्रकार्यों के निवर्हन में विनियामक प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को उपस्थिति के लिये बुलाना तथा विवश करना;

(ख) किसी प्रलेख, लेखा बहियां, अभिलेख के प्रस्तुतीकरण हेतु निदेश देकर आमंत्रित करना;

(ग) शपथ-पत्र के साक्ष्य में उसके किसी बयान का अभिलेखन किसी साक्षी/साक्ष्य को आमंत्रित करना; और

(घ) जिन विवादों में इस अधिनियम के अन्तर्गत विनियामक प्राधिकरण सृक्षम तथा सशक्त है उस विवाद की जांच करते समय यथावश्यक एवं समायोजित ऐसा निदेश या आदेश पारित करना ।

18. विनियामक प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील :—इस अधिनियम के अन्तर्गत विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति, प्राधिकरण, विभाग या अधिकारी प्रतिकूल आदेश की प्राप्ति के तीस दिन तक की अवधि के भीतर इस अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिये गठित अपीलीय प्राधिकरण को अपील प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होगा :

उपबंध है कि अपीलीय प्राधिकरण उक्त तीस दिन की अवधि समाप्त होने पर भी यदि संतुष्ट है कि उस अवधि में अपील दायर न करने के लिये समुचित कारण थे, अपील पर विचार कर सकती है।

19. अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति :— (1) सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई तथा निर्णय करने की शक्ति रखने वाला काई अपीलीय प्राधिकरण गठित करेगी ।

(2) अपीलीय प्राधिकरण की शर्तें, वेतन तथा देय भत्ते सरकार द्वारा यथानिर्धारित रूप में होंगे ।

20. अपीलीय प्राधिकरण का संघटन:—(1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अपीलीय प्राधिकरण का एक अध्यक्ष, एक प्रशासनिक एवं एक तकनीकी सदस्य होगा । अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष भारत सरकार में कम से कम सचिव के पद से सेवानिवृत्त अधिकारियों के पूल में से लिया जाएगा ।

(2) प्रशासनिक सदस्य सरकारी नीति, सरकारी कार्य, सामाजिक सेवाएं, विधि, प्रबंधन, प्रशासन या सरकार जैसे क्षेत्रों में कम से कम पचीस वर्ष की व्यापक जानकारी/ज्ञान और अनुभव रखने वाला जन जीवन से जुड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा ।

(3) तकनीकी सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा और अपने क्षेत्र में कम से कम पचीस वर्ष की सम्बद्ध योग्यता एवं अनुभव रखता हो :

शर्त यह है कि किसी अपीलीय प्राधिकरण का कोई भी सदस्य सांसद या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का विधायक नहीं होगा और किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े किसी पद पर नहीं होगा ।

21. अपील की सुनवाई की प्रक्रिया :— (1) अपीलों की सुनवाई करते समय अपीलीय प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित होगा तथा संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा ।

(2) अपीलीय प्राधिकरण को विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्णित प्रकरण के अभिलेख मंगवाने की शक्ति होगी तथा इसे विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के उलटने, आशोधित करने या रद्द करने के लिए सक्षम होगा । अपीलीय प्राधिकरण, विनियामक प्राधिकरण द्वारा मूल रूप में पारित आदेश को रद्द करने के उपरान्त प्रकरण पर नए सिरे से आदेश को पारित करने के निदेश सहित उसे लौटाने के लिए भी सशक्त होगा ।

(3) अपीलीय प्राधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) से बाध्य नहीं होगा और अपील की सुनवाई संबंधी अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा ।

22. पारिश्रमिक एवं भत्ते :—अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों को इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए नियमों के अनुसार सरकार द्वारा यथानिर्धारित भत्ते भुगतान किए जाएंगे ।

अध्याय-VIII

विविध

23. निदेश जारी करने की शक्ति :—सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए अपने अभिमत से यथावश्यक या समयोचित ऐसे निदेश विनियामक प्राधिकरण को जारी कर सकती है और विनियामक प्राधिकरण का दायित्व होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करे ।

24. सद्भावना से की गई कार्रवाई से बचाव:—कोई वाद, अभियोग या अन्य कानूनी कार्रवाई सरकार, विनियामक प्राधिकरण तथा अपीलीय प्राधिकरण या इसके अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगा/होगी जो इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए नियमों तथा विनियमों के अनुसरण में सद्भावना से या अभीष्ट के लिए की गई हो ।

25. नियम बनाने के लिए सरकार की शक्ति :—(1) सरकार अधिसूचना से, इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु नियम बना सकती है ।

(2) विशेषत: और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी या निम्नलिखित विषयों में किसी विषय संबंधी ऐसे नियम बना सकती है :—

(क) संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, सार्वजनिक तथा निजी अभिकरणों एवं भारत के नागरिकों से वसूल किए जाने वाले प्रभारों, शुल्क, लागत और इस प्रकार को नियंत्रित करने वाले राजस्व माडल को बनाने संबंधी शर्तें;

(ख) संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, सार्वजनिक एवं निजी अभिकरणों के साथ सेवा स्तरीय करार या अन्य करार में शमिल की जाने वाली शर्तें;

(ग) विशिष्ट पहचान संख्या को उत्पन्न करने को नियंत्रित करने वाला/वाली अनुप्रयोग एवं प्रक्रिया और ठेकेदार/संविदाकार द्वारा देय निश्चित शुल्क एवं समय-समय पर संशोधित शुल्क की सूची की अधिसूचना;

(घ) प्रतिबंधित एवं अप्रतिबंधित आंकड़ों के वर्गीकरण की पद्धति एवं प्रक्रिया;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे निर्धारित किया जाना अपेक्षित है या निर्धारित किया जाता है ।

26. विनियम बनाने के लिये विनियामक प्राधिकरण की शक्ति:—(1) विनियामक प्राधिकरण सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुकूल विनियम बना सकती है ।

(2) विशेषत: और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी विषयों या कुछ विषयों के लिए ऐसे विनियमों की व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) सहायक स्टाफ, अधिकारियों, परामर्शदाताओं, सलाहकारों आदि की नियुक्ति के लिए शर्तें, शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव निश्चित करना;

(ख) संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों तथा निजी एवं सार्वजनिक अभिकरणों के बीच तथा मध्य विवाद के अधिनिर्णय को नियंत्रित करने की प्रक्रिया;

(ग) किसी अनुशासनिक प्राधिकरण के रूप में जांच और दंड के आरोपण को नियंत्रित करने की प्रक्रिया;

(घ) अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस देने की पद्धति;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे निर्धारित किया जाना अपेक्षित है या निर्धारित किया जाना है ।

(3) अधिकतम दंड जो विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिया जा सकेगा वह दस हजार रुपये प्रति अनधिक चूक होगा ।

27. नियमों एवं विनियमों को प्रस्तुत करना/सदन पटल पर रखना:—इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम के बनने के बाद इसे यथाशीघ्र विधानसभा पटल के समकक्ष कुल तीस दिन के सत्रकाल में रखा जाएगा। उक्त अवधि एक सत्र की है या दो सत्रों की हो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों को मिलाकर हो और यदि आगामी सत्र या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्रों से तुरन्त पहले सत्र समाप्त होने से पहले सदन नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए सहमत है या सदन सहमत है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो इसके बाद नियम केवल ऐसे आशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसा आशोधन या निष्प्रभावन उक्त नियम के अन्तर्गत पहले किए गए की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव के रहित होगा ।

28. कठिनाइयां दूर करने के लिए शक्ति :—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने से कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे

उपबंध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल न हो, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समयोचित प्रतीत होते हों :

शर्त यह है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिस तिथि को अधिनियम प्रभावी होता है, उस तिथि से दो वर्ष की अवधि बीतने के उपरान्त नहीं बनाया जाएगा ।

(2) इस धारा के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक आदेश बनने के बाद शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा ।

अनुसूची

[धारा 4 देखें]

क्र. सं.	विभाग
(1)	(2)
1.	दिल्ली अग्निशमन सेवा
2.	मनोरंजन सीमा-शुल्क तथा विलासिता कर विभाग
3.	पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
5.	व्यापार एवं कर विभाग
6.	जनगणना महानिदेशालय, दिल्ली
7.	शिक्षा निदेशालय
8.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
9.	कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली
10.	श्रमायुक्त कार्यालय
11.	रजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय
12.	लोक निर्माण विभाग
13.	राजस्व विभाग
14.	दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिकरण
15.	दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति
16.	दिल्ली राज्य औद्यौगिक एवं अवसंरचना विकास कार्पोरेशन लि.
17.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास कार्पोरेशन लि.
18.	दिल्ली ट्रांसको लि.
19.	दिल्ली ट्रांसको कार्पोरेशन
20.	दिल्ली विकास प्राधिकरण
21.	दिल्ली जल बोर्ड
22.	दिल्ली नगर निगम
23.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्
24.	दिल्ली समेकित मल्टी माडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड
25.	दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26.	इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
27.	महानगर टेलीफोन निगम लि.
28.	नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड
29.	यमुना एवं राजधानी बी.एस.ई.एस. पावर लिमिटेड

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

दिल्ली भू-आकाशीय आंकड़ा अवसंरचना (प्रबंधन, नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षा एवं संरक्षण) विधेयक, 2011 का उद्देश्य दिल्ली के लिए भू-आकाशीय आंकड़ा बैंक, भू-आकाशीय मानचित्र, भू-आकाशीय प्रणाली,भू-आकाशीय अनुप्रयोग, भू-पोर्टल का सृजन, अध्यतन, प्रबन्धन, प्रसारण व साझेदारी करना है जिससे विभिन्न विभागों, निगमों, मण्डलों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक एवं निजी अभिकरणों द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं के जनोपयोगी सेवाओं आदि के नियोजन, क्रियान्वयन, रखरखाव के लिये आधार प्रदान करेगा और दिल्ली में बेहतर समन्वय, सुशासन, जनकल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति करने का कार्य करेगा ।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है।

(शीला दीक्षित)

मुख्यमंत्री

नई दिल्ली :

दिनांक :

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली भू-आकाशीय आंकड़ा अवसंरचना (प्रबंधन, नियंत्रण, प्रशासन सुरक्षा एवं संरक्षण) विधेयक, 2011 का उद्देश्य समय-समय पर राजस्व माडल निर्माण करने के लिए जायो स्पैटियल दिल्ली लिमिटेड (जीएसडीएल) को प्राधिकृत करना है ।

विधेयक, 211 के उपबंध जी.एस.डी.एल. के माध्यम से लागू किया जाएगा और विनियामक निकाय की स्थापना करने के सिवाय कोई भी वित्तीय उलझाव नहीं है। इस खर्च की पूर्ति विभाग के बजट से की जाएगी ।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को विधेयक के खंड 25 के अनुसार नियमावली बनाने की शक्ति प्रदत्त की गई है ।

इस प्रकार विधेयक के कर्त्तव्यों के निष्पादन हेतु विनियामक प्राधिकरण को विधेयक के खंड 26 के अनुसार विनियम बनाने की शक्ति सौंपी गई है।

जिस विषय के संबंध में नियम एवं विनियम बनाए जा सकते हैं वे विषय प्रशासनिक स्वरूप के हैं और प्रक्रियाएं और इसी प्रकार विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है ।

पी. एन. मिश्रा, सचिव

THE DELHI GEO-SPATIAL DATA INFRA-STRUCTURE (MANAGEMENT CONTROL, ADMINISTRATION, SECURITY AND SAFETY) BILL, 2011 (BILL NO. 2 OF 2011)

Delhi Legislative Assembly Secretariat

NOTIFICATION

Delhi, the 21st March, 2011

F. No. 21(2)/2011/LAS-IV/Leg./3240.—The following is published for general information :—

(As introduced by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 21st March, 2011)

A Bill to create, update, manage, disseminate, and share, for Delhi a geo-spatial data, geo-spatial map, geo-spatial system, geo-spatial application, geo-spatial portal of the land revenue records; public utilities including roads, water, sewerage, electricity, telecommunication/internet services and other services of utility; property details, property ownership and the like, by entrusting the responsibility to Geo Spatial Delhi Limited, a body registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) making it mandatory for the departments, corporations, boards of the Government of NCT of Delhi; local bodies; public authorities; public or private agencies, etc. to use and update the Delhi Geo-spatial data; by establishing a regulatory authority and an appellate authority for proper co-ordinated planning and development of Delhi, and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas the Ministry of Space and Technology, Department of Science and Technology (National Disaster Management Services Division), Government of India has framed the National policy for Sharing and Accessibility of the data *vide* communication dated 14-7-2010 and has mandated that the data as created by the various departments and authorities of the Government at the cost of public exchequer must be shared and utilized in the beneficial interest of the public;

And whereas the Government of National Capital Territory of Delhi has created an integrated geo-spatial information system for easy accessibility of all relevant information including land revenue records, land use, property details, utility services, infrastructure, etc. for the National Capital Territory of Delhi, with the expert guidance of the Survey of India, Department of Science and Technology, Government of India, in pursuance of the Cabinet Decision No. 1302 dated 13-11-2007 of the Government of National Capital Territory of Delhi;

And whereas the Delhi Geo-spatial Data and its information can be applied and utilised for better planning and management as part of good governance by the departments, corporations, boards of the Government of National Capital Territory of Delhi; local bodies; public authorities; public and private agencies rendering services of public utilities in Delhi;

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Geo-Spatial Data Infrastructure (Management, Control, Administration, Security and Safety) Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appellate Authority" means the authority appointed in accordance with Section 19 of this Act;

(b) "attribute" means the qualifying data pertaining to the spatial feature and any non-spatial or texture data that is to be associated with the mapped feature;

(c) "company" means the Geo-Spatial Delhi Limited, a wholly owned company of the Government, registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(d) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;

(e) "development activity" includes construction activity, excavation activity and the like carried out either by any line department, local body, public authority, public and private agency for the purpose of rendering any public utility services like laying of cables, water pipe lines, sewerage lines, gas pipelines, etc.;

(f) "geo-portal" means the Delhi geo-spatial map server or software application for access of geo-spatial data and application residing on an identified system of a control centre or a monitoring centre;

(g) "geo-spatial applications" include the applications developed to use the geo-spatial data to cater to specific governance needs of the Government;

(h) "geo-spatial data" includes 3-dimensional Geo-spatial information system including land information system of Delhi comprising land

revenue record data, land ownership, etc. along with urban information system comprising property details, property ownership; pipelines, sewerage lines, roads, bridges, water tanks and the like of Delhi, base map in hardcopy, softcopy and electronic transaction forms to be made available by and to a line department, local body, public authority, public and private agency;

(i) "geo-spatial map" includes the 2-dimensional or 3-dimensional map of Delhi generated with the help of aerial photography, photo-grammatory, created with 2-dimensional or 3-dimensional topology and texturing including ortho-photo vectorization, validation, digital electronic model so as to provide 2-dimensional or 3-dimensional visualization of the projected area;

(j) "geo-spatial system" includes all the hardware, software, spatial data applications, surveillance system and other allied information technology equipments for the control centres and monitoring centres with appropriate linking mechanism to the line department, local body, public authority, public and private agency;

(k) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution;

(l) "line department" includes a department, corporation, board of the Government, having right to access the base map through access control;

(m) "local body" includes any public authority, municipality, Delhi Cantonment Board, Delhi Jal Board, Town Planning Authority, Delhi Development Authority or any other body or authority, by whatever name called, for the time being invested by law to render essential services of public utility within the territory of Delhi or to control or manage or to regulate civic services within a specified local area;

(n) "monitoring centre" means the monitoring centre established in Delhi for monitoring live archives, buildings, real estates and other assets for change detection in achieving and creating a local archive of the data collected through internal protocol camera installed or through any other mode;

(o) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(p) "public and private agency" includes public or private electricity distribution companies, public or private telecommunication services, internet services providers and the like, rendering services of public utility;

(q) "public authority" means any authority or body or institution of self governance established or constituted (i) by or under the Constitution; (ii) by any other law made by Parliament; (iii) by any law made by the Legislature of a State or Union territory, (iv); by a notification issued or order made by the Government; and includes (a) a body owned, controlled or substantially financed by the Government; (b) a non-Government organization substantially financed directly or indirectly by funds provided by the Government; and (c) and organization or body corporate in its capacity as an instrumentality of State as defined under Article 12 of the Constitution of India, rendering services of public utility;

(r) "regulation" means a regulation made by the Regulatory Authority under this Act, by notification;

(s) "Regulatory Authority" means the Delhi Spatial Data Regulatory Authority constituted under Section 12 of this Act;

(t) "rule" means a rule made by the Government under this Act, by notification;

(u) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;

(v) "utility mapping" includes the mapping and creation of a geo-spatial data base of on the ground, underground or over ground utilities such as water pipelines, sewerage lines, cables, mapped using ground probing radar and ground survey and other forms of survey;

(w) "utility services" include services of water, sewerage, electricity and the likes;

CHAPTER-II

MANDATORY SHARING, ACCESSING, UTILIZATION AND UPDATION OF GEO-SPATIAL DATA

3. Mandatory sharing, accessing, utilization and updation of geo-spatial data.—Every line department, local body, public authority, private and public agency rendering services of public utility in Delhi shall :—

(a) ensure that various geo-spatial data attributes pertaining to them are uploaded in the geo-spatial data base;

(b) utilise the geo-spatial data and geo-spatial map for proper co-ordinated planning, management

and delivery of the various services rendered as a part of their administrative and statutory functions;

(c) update their respective attribute data continuously on real time basis for up-dation of geo-spatial data and geo-spatial map created, maintained and managed in accordance with the provisions of this Act;

(d) link their respective attribute data to the geo-spatial data and geo-spatial map created, maintained and managed in accordance with the provisions of this Act;

(e) ensure safety and security of geo-spatial data.

CHAPTER-III

SERVICES OF PUBLIC UTILITY

4. Services of public utility.—(1) For the purposes of this Act, services of public utility include the services rendered by the line department, local body, public authority, public and private agency of the Government which are listed in the Scheduled.

(2) The Government may, by notification, amend the Scheduled on the recommendation of the Regulatory Authority from time to time.

CHAPTER-IV

EMPOWERMENT OF THE COMPANY AND ITS FUNCTIONS UNDER THIS ACT

5. Empowerment.—For the purpose of creating, updating, managing, disseminating and sharing, for Delhi geo-spatial data, geo-spatial map, geo-spatial system, geo-spatial application, geo-spatial portal of the land revenue records; public utilities including roads, water, sewerage, electricity, telecommunication or internet services and other services of utility; property details, property ownership and the like, the company shall, after the commencement of this Act, be empowered by the Government by notification and by such amendments to the memorandum of association of the company as may be necessary.

6. Functions of the company.—The company shall maintain geo-spatial data, geo-spatial map, geo-spatial system, develop geo-portal and applications, for the Government and shall—

(a) make the appropriate use of the data of the line departments, local bodies, public authorities, public or private agencies, individuals, etc. as authorised by the Government for the benefit of citizens of Delhi;

(b) own and maintain the hardware and software, produced and used in the Delhi Spatial Data Infrastructure project;

(c) update the geo-spatial data on the basis of change requests received from the line departments, local, bodies, public authorities, private and public agencies rendering services of public utility;

(d) provide value added services and consultancy to the Government and the Government of India for better co-ordinated planning, utilization and maintenance of the resources;

(e) formulate the revenue model governing charges, fees, costs and the like to be levied upon the line departments, local bodies, public authorities, public and private agencies and citizens of India for usage and access of the geo-spatial data, geo-spatial map, geo-spatial applications and the like.

7. Administrative control of the company.—The company shall function under the over-all administrative control and supervision of the Government through its Department of Information Technology and shall be bound by all policies, guidelines, directions, etc. issued by the Government, from time to time.

CHAPTER-V

MANAGEMENT, UTILITY AND ACCESS OF THE DATA

8. Access of geo-spatial data by the line departments, local bodies, public authorities, public and private agencies and general public.—(1) Every line department, local body, public authority, public and private agency shall have access to the geo-spatial data, geo-spatial map and geo-spatial application through access control to access, utilize, update their spatial as well as attribute data.

(2) Every line department, local body, public authority, public and private agency may, subject to payment of charge, fee, cost, download both spatial and attribute data in various forms, such as portable document format and the like for their internal use and application.

(3) The Government shall allow controlled access of the geo-spatial data, geo-spatial map and geo-spatial application to the public in general, private individual, public and private agencies subject to the rules made under this Act :

Provided that the Government shall be authorized to classify the geo-spatial data, geo-spatial map, geo-spatial application into the categories of restricted and unrestricted and allow access to the data classified as unrestricted in accordance with the rules made under this Act, to the public in general, private individual, public and private agencies, and the like :

Provided further that the Government shall abide by the policies, guidelines, rules, regulations, etc. of the Government of India, made from time to time regarding

display of information in public domain, to private individual, public and private agencies, and the like.

9. Service level agreement or other agreement with the line department, local bodies, etc.—(1) The company may enter into service level agreements or other agreements with any line department, local body, public authority, public and private agency rendering services of public utility in Delhi to achieve the objective of this Act.

(2) The company may authorize the line departments, local bodies, public authorities, public and private agencies to have access through secured password and the like to the geo-spatial data, geo-spatial map, geo-spatial portal, geo-spatial system, geo-spatial applications of their respective data assets, to use and update to enhance its value and utility.

(3) Every line department, local body, public authority, public and private agency shall update the attribute data on real time regular basis. In case of failure, the Regulatory Authority shall be entitled to take action against defaulting officials and/or line department, local body, public authority, public and private agency in the manner provided in the regulations.

(4) Every line department, local body, public authority, public and private agency rendering services of public utility shall mandatorily use geo-spatial data, geo-spatial map, geo-spatial application, geo-spatial system, geo-spatial portal.

(5) Every person or government employee authorized to access geo-spatial data, geo-spatial map, geo-spatial portal, geo-spatial system, geo-spatial application may use his respective Digital Signature, secured password or the like while using, updating and administrating the same.

(6) It shall be mandatory for all such departments, local bodies and public authorities to establish a paperless regime, to the extent possible in terms with the policy of e-governance as envisaged under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

CHAPTER-VI

APPLICATION AND UTILITY OF THE GEO-SPATIAL DATA

10. Application and utility of the geo-spatial data.—(1) The Government shall, with the consultation of the company, formulate the various geo-spatial applications to use the geo-spatial data and geo-spatial map in accordance with the scheme of this Act and the rules and regulations framed thereunder :

Provided that all such schemes shall be put by the company before its Board of Directors for approval and shall be effective once these are approved by the Board.

(2) Any contractor authorized by any line department, local body, public authority or public and private agency shall apply to the company online and shall obtain a unique identification number before starting any development work in Delhi. The line department, local body, public authority or public and private agency authorised under this Act to use or access geo-spatial data and the like shall be responsible for providing and continuously updating, all relevant information of the proposed project of development with the progress of the work of development identifiable by the unique identification number so generated and obtained online in accordance with rules made under this Act.

(3) The unique identification number in terms of sub-section (2) shall be generated online and all such request applications seeking unique identification number shall be decided within fifteen days of receipt thereof by the company :

Provided that the company shall be authorized to charge such application fee as per the rates so finalized and fixed by the Board of Directors of the company payable by the contractors, persons or authority intending to start any development work in Delhi. The company shall be authorized in the like manner to revise such rates from time to time. All such rates of application fee or revised application fee shall be duly notified by a notification.

(4) It shall be the duty of all the line departments, local bodies, public authorities and public and private agencies, having right to access to the geo-spatial data and the like under this Act to certify in writing every quarter of the year to the Regulatory Authority that all geo-spatial data and attribute data generated as a result of developmental activities has been updated to that effect.

CHAPTER-VII

ESTABLISHMENT OF REGULATORY AUTHORITY

11. Delhi Spatial Data Regulatory Authority.—With effect from such date as the Government may notify in this behalf, there shall be established for the purpose of this Act, an authority to be known as "Delhi Spatial Data Regulatory Authority" (hereinafter referred to as the "Regulatory Authority").

12. Composition of the Regulatory Authority.—The Government shall constitute the Regulatory Authority having following members, namely :—

(a) Chief Secretary of the Government, ex-officio Chairperson;

(b) Surveyor General of India, Member;

(c) Secretary, Department of Finance of the Government, Member;

(d) Secretary, Department of Urban Development of the Government, Member;

(e) Secretary, Department of Law, Justice and Legislative Affairs of the Government, Member;

(f) Secretary, Department of Information Technology of the Government, Member-Secretary.

13. Power to appoint supporting administrative officers, consultants, experts, advisors, etc.—The Regulatory Authority may, as and when required, appoint such officers, consultants, experts and advisors of the respective fields, including administration, information technology, legal, finance and the like, to assist it to fulfil the obligations of this Act conferred upon the Regulatory Authority.

14. Tenure of office of Regulatory Authority and its members.—The tenure of office of the Regulatory Authority and/or its members shall be determined by the Government as may be prescribed :

Provided that no person shall hold office of the Regulatory Authority after attaining the age of sixty five years.

15. Salaries and allowances.—The terms and conditions, salaries and allowances payable to the persons appointed under Section 13 shall be such as may be prescribed by rules by the Government :

Provided that the Government shall provide to the Regulatory Authority with such officers, consultants and employees as it may deem necessary for the efficient performance of its function under this Act.

16. Powers, functions and duties of Regulatory Authority.—Subject to the provisions of this Act, the Regulatory Authority shall have the responsibilities for laying down policies, plans and guidelines in respect of the following matters, namely :—

(a) monitoring the geo-spatial systems as created by the Government;

(b) terms and conditions including service charges, fees and cost governing sharing and accessing the geo-spatial data, geo-spatial map, geo-spatial system, geo-spatial application, geo-spatial portal by the line departments, local bodies, public authorities, public and private agencies rendering services of public utility;

(c) efficient monitoring of the various application and utility of the data infrastructure;

(d) lay down safety code pertaining to geo-spatial system;

(e) fix liability and accountability in case of breach of safety code by line departments, local bodies, public authorities, public and private agencies rendering services of public utility in Delhi and the public or its respective responsible officers;

(f) enforcement and implementation of policy and plan for development of geo-spatial system and its further application and utilization;

(g) act as adjudicating authority in case of any dispute governing sharing accessing, application and updation of the data infrastructure between or among the various line departments, local bodies, public authorities, public and private agencies rendering services of public utility in Delhi;

(h) act as a disciplinary body in case of violation of any of the provisions of this Act, rules and/ or regulations made thereunder on the part of any line department, local body, public authority, public and private agency rendering services of public utility in Delhi and its officers and impose penalties in accordance with the regulations framed under this Act:

Provided that all such decisions shall be taken by the Regulatory Authority by majority.

17. Procedure.— (1) Before passing any adverse order, the Regulatory Authority shall issue a show cause notice, seeking explanation within a period not less than fifteen days.

(2) If no explanation is furnished or the explanation furnished is not satisfactory in the opinion of the Regulatory Authority, the Authority shall initiate disciplinary and/or adjudication proceedings, as the case may be, by directing an enquiry on the issue involved.

(3) While enquiring into the issue arisen before the Regulatory Authority, the Regulatory Authority shall not be bound by the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), or the provisions of the Evidence Act, 1872 (1 of 1872). The Regulatory Authority shall adhere to the principles of natural justice and shall afford full opportunity to the parties concerned to establish and prove their respective contentions.

(4) The Regulatory Authority shall pass a speaking order containing facts of the case, contentions raised by the parties, the reasons leading to the finding of fact arrived at by the Regulatory Authority and the final decision.

(5) In the discharge of its functions, the Regulatory Authority shall have the following powers, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person or authority;

(b) summoning and directing production of any document, books of account, record;

(c) summoning any witness, record his statement in evidence on oath; and

(d) passing such directions or orders as deemed necessary and expedient while enquiring into any issue which the Regulatory Authority is competent and empowered under this Act.

18. Appeal against the orders of the Regulatory Authority.—Any person, authority, department or officer aggrieved by any order passed by the Regulatory

Authority under this Act shall be entitled to file an appeal to the Appellate Authority constituted for this purpose under this Act, within a period not exceeding thirty days from the date of the receipt of the impugned order. The order of the Appellate Authority shall be final and binding:

Provided that the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

19. Appointment of Appellate Authority.—(1) The Government shall constitute an Appellate Authority having power to hear and decide appeals against the order passed by the Regulatory Authority under this Act.

(2) The terms and conditions, salaries and allowances payable to the Appellate Authority shall be such as may be prescribed by the Government.

20. Composition of Appellate Authority.—(1) The Appellate Authority shall consist of one Chairman, one administrative and one technical member for the purposes of this Act. The Chairman of the Appellate Authority shall be drawn from the pool of retired officers having served not below the rank of Secretary to the Government of India.

(2) The administrative member shall be a person of eminence in public life having wide knowledge and experience of not less than twenty five years in the field, namely, public policy, public affairs, social services, law, management, administration or governance.

(3) The technical member to be appointed shall be an expert in the field of information technology and the like, having related qualification and experience in his field of not less than twenty five years:

Provided that no member of an Appellate Authority shall be a Member of Parliament or Legislature of any State or Union territory nor shall hold any office connected with any political party.

21. Procedure of hearing appeal.—(1) While hearing appeal, the Appellate Authority shall be guided by the principles of natural justice and shall grant opportunity of hearing to the parties concerned.

(2) The Appellate Authority shall have the power to call for and summon the records of the case decided by the Regulatory Authority and shall be competent to reverse, modify or set aside the order passed by the Regulatory Authority. The Appellate Authority shall also be empowered after setting aside the order of the Regulatory Authority, to remand the case back to it with direction to pass a fresh order.

(3) The Appellate Authority shall not be bound by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) or the Evidence Act, 1872 (1 of 1872) and may prescribe its own procedure of hearing the appeal.

22. Remuneration and allowances.—The Chairperson and members of the Appellate Authority shall be paid such remuneration and allowances as prescribed by the Government in accordance with the rules made under this Act.

CHAPTER-VIII

MISCELLENEOUS

23. Power to issue directions.—The Government may from time to time, issue to the Regulatory Authority such directions as, in its opinion, may be necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and it shall be the duty of the Regulatory Authority to comply with such directions.

24. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government, Regulatory Authority and Appellate Authority or any member or officer or employee thereof in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act, the rules and regulations made thereunder.

25. Power of Government to make rules.—(1) The Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) terms pertaining to framing of revenue model governing charges, fees, costs and the like to be levied upon the line departments, local bodies, public authorities, public and private authorities and citizens of India;

(b) the conditions to be inserted in the service level agreements or other agreements with the line departments, local bodies, public authorities, public and private authorities;

(c) application and procedure governing generation of unique identification number and notification of schedule of fees fixed and revised from time to time, payable by the contractor;

(d) the method and procedure for classification of data into restricted and un-restricted;

(e) terms of appointment of Regulatory Authority and Appellate Authority, their respective salaries, remuneration, allowances, etc. as applicable there to;

(f) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

26. Power of Regulatory Authority to make regulations.—(1) The Regulatory Authority may, with the approval of the Government, make regulations not in consistent with the provisions of this Act, to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality, of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) fixing terms, qualifications and experience for the appointment of supporting staff, officers, consultants, experts, advisors;

(b) procedure governing adjudication of dispute between and among the line departments, local bodies, public authorities, private and public agencies;

(c) the procedure governing enquiry and imposition of penalty as a disciplinary authority;

(d) the manner and the forms of giving notice under the Act;

(e) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

(3) The maximum penalty, however, that may be imposed by the Regulatory Authority shall not exceed ten thousand rupees per default.

27. Laying of rules and regulations.—(1) Every rule made under this Act by the Government and every regulation made by the Regulatory Authority thereunder shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of session immediately following the session of the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or regulation, or the Assembly agrees that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

28. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date on which this Act comes into force.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Legislative Assembly.

SCHEDULE

[See Section 4]

Sl. No.	Line Departments/Local Bodies/Public Authorities/ Public or Private Agencies rendering services of public utility
(1)	(2)
1.	Delhi Fire Services
2.	Department of Excise, Entertainment and Luxury Tax
3.	Department of Environment, Forests and Wildlife
4.	Department of Health and Family Welfare
5.	Department of Trade and Taxes
6.	Directorate of Census Operation, Delhi
7.	Directorate of Education
8.	Irrigation and Flood Control Department
9.	Office of the Chief Electoral Officer, Delhi
10.	Office of the Labour Commissioner
11.	Office of the Registrar Co-operative Societies
12.	Public Works Department
13.	Revenue Department
14.	Delhi Disaster Management Authority
15.	Delhi Pollution Control Committee
16.	Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited
17.	Delhi Tourism and Transportation Development Corporation Limited
18.	Delhi Transco Limited
19.	Delhi Transport Corporation
20.	Delhi Development Authority
21.	Delhi Jal Board
22.	Municipal Corporation of Delhi
23.	New Delhi Municipal Council
24.	Delhi Integrated Multi-Modal Transit System Limited
25.	Delhi Metro Rail Corporation Limited
26.	Indraparastha Gas Limited
27.	Mahanagar Telephone Nigam Limited
28.	North Delhi Power Limited
29.	Yamuna and Rajdhani - BSES Power Limited

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Geo-Spatial Data Infrastructure (Management, Control, Administration, Security and Safety) Bill, 2011 aims at creating, updating, managing, disseminating and sharing for Delhi a geo-spatial data, geo-spatial map, geo-spatial system, geo-spatial application, geo-spatial portal of Delhi which will serve as the base for planning and executing various development projects, utility services, etc. to be undertaken by various Departments, Corporations, Boards of Government of NCT of Delhi, Local Bodies, Public Authorities, Public and Private Agencies to achieve goals of co-ordinated planning, effective governance, public welfare in Delhi.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

New Delhi (Sheila Dikshit)

Dated : Chief Minister, Delhi

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Geo-Spatial Data Infrastructure (Management, Control, Administration, Security and Safety) Bill, 2011 aims at authorizing Geo Spatial Delhi Limited (GSDL) to devise revenue model from time to time.

The provisions of the Bill shall be implemented through GSDL and there are no additional financial implications except for setting up of Regulatory Body, which will be met from within the budget of the Department.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Rules making power has been conferred on the Government of NCT of Delhi as per clause 25 of the Bill to carry out the objectives of the Bill.

Similarly, power of making regulations has been conferred on the Regulatory Authority, as per clause 26 of the Bill to carry out the functions of the Bill.

The matters in respect of which rules and regulations may be made are matters of administrative detail and procedures and, as such, the delegation of legislative power is of a normal character.

P. N. MISHRA, Secy.

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य आयुक्त का कार्यालय

आदेश

दिल्ली, 21 मार्च, 2011

सं फा. 3 (4)/2009/एफ एण्ड एस/पी व सी/129.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल खाद्य विभाग, भारत सरकार की दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800 दिनांक 16-11-2010 की अधिसूचना संख्या 3(4)/2002/ एफ एवं एस पी एंड सी खण्ड-3/944 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1963 से संबंधित था, जो दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या फा. 3(4)/ 2002/एफ एवं एस एस/पी एण्ड सी खण्ड (2)/19 को दिनांक 31-12-2010 पदार्थ के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक, सीमा तथा ढुलाई पर प्रतिबंध) निवारण (आठवां संशोधन) आदेश, 2010 के उपबंधों की सीमा तक स्थगित रखे जाएंगे ।

जबकि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग के दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 3060(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा ढुलाई पर प्रतिबंध) निवारण (नौवां संशोधन) आदेश, 2010 जारी किया गया है । और इस आदेश के खण्ड 1, 2, 3 और 4 निम्न प्रकार का प्रावधान है—

"1. यह 1 जनवरी, 2011 से प्रभावी होगा ।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में बिक्री के लिए क्रय, लाने ले जाने बिक्री, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां इस आदेश के लागू होने की तिथि से 31 मार्च, 2011 तक की आगामी अवधि के लिए, या, आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, वस्तु अर्थात् चीनी के लिए तक स्थगित रखे जाएंगे ।

3. इस आदेश का कुछ भी राज्य से बाहर के स्थानों में चीनी की ढुलाई, वितरण या निपटान पर प्रभाव नहीं डालेगा या न ही इन वस्तु के आयात पर लागू होगा :

शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें चीनी के स्टाक की प्राप्तियां तथा उनके द्वारा रखे गए स्टाक की घोषणा करने के लिए आयातकर्ताओं को निर्देश दे सकती है ।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) के निवारण संबंधी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध खण्ड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान प्रवृत्त रहेंगे ।

अतः, अब खाद्य विभाग, भारत सरकार की दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1963 संबंधी आदेश संख्या फा. 3(4)/2002/ एफ एवं एस/पी एंड सी(2)/19 दिनांक 20-6-2002, इस आदेश के प्रवृत्त होने की तिथि से 31 मार्च, 2011 तक की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (नौवां संशोधन) (लाइसेंसिंग अपेक्षाएं, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2011 के उपबंधों की सीमा तक स्थगित रखा जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

वी. के. जैन, विशेष सचिव (पी एवं सी)

OFFICE OF THE COMMISSIONER, FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS

ORDER

Delhi, the 21st March, 2011

No. F. 3(4)/2009/F & S/P & C/Vol-III/129.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Department of Food, Notification No. G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978 ordered *vide* No. F. 3(4)/2009/F & S/P & C/ Vol.-III/944 dated 16-11-2010 that order No. F. 3(4)/2002/F & S/P & C(2)/19 dated the 20th June, 2002, relating to Delhi Sugar Dealers Licensing Order, 1963 shall be kept in abeyance to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Eighth Amendment) Order, 2010 up to 31-12-2010.

And whereas, the Central Government *vide* Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) *vide* Notification S.O. 3060(E), dated 30-12-2010 has issued the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Nineth Amendment) Order, 2010 and its clauses 1, 2, 3 and 4 provide as under :—

"1. It shall come into force on the 1st day of January, 2011.

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodity, namely, Sugar, for a further period up to 31st March, 2011 or further order, whichever is earlier.

3. Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of sugar to places outside the state nor shall it be applicable to import of this commodity:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare their receipts of stocks of sugar, and stocks retained by them.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above."

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Department of Food, Notification No. G.S.R. 800, dated the 9th June, 1978, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby orders that order No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C(2)/19, dated the 20th June, 2002, relating to Delhi Sugar Dealers Licensing Order, 1963, shall be kept in abeyance to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Nineth Amendment) Order, 2010 for a further period up to 31st March, 2011.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

V. K. JAIN, Spl. Secy. (P & C)

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 मार्च, 2011

सं. फा. 10 (12)/वि. (राज़.-1)/2010-11/डी एस 2/111.—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जाये।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.—दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 (इसके पश्चात् "मूल नियमावली" के रूप में संदर्भित) के नियम 2 में उप-नियम (17) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (17क) सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(17क) गेस्ट हाउस का अर्थ पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित गेस्ट हाउस से है;"

3. नियम 32 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 32 के उप-नियम (1) पर क्रम संख्या 22 एवं 23 के कॉलम 3 में "होटल" शब्द के पश्चात् तथा "निवासी" शब्द से पहले "या गेस्ट हाउस" शब्दों को दोनों स्थानों पर सन्निविष्ट किया जायेगा।

4. नियम 51 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 51 के उप-नियम (10) में खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा।

"होटलों के मामले में प्रपत्र एल-15 तथा एल 16 में लाइसेंस देने के लिये पर्यटन विभाग, भारत सरकार से प्रमाण पत्र तथा गेस्ट हाऊसों के मामले में प्रपत्र एल-15 में लाइसेंस देने के लिये पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्रमाण पत्र।"

5. नियम 66 का संशोधन.—(1) मूल नियमावली के नियम 66 के उप-नियम (9) में "होटल" शब्द के पश्चात् तथा "निवासियों" शब्दों से पहले "या गेस्ट हाऊस" शब्दों को सन्निविष्ट किया जायेगा।

(2) मूल नियमावली के नियम 66 के उप-नियम (9) के खण्ड (ग) में अंत में आये "भारत सरकार" शब्द के पश्चात् "होटलों के मामले में तथा गेस्ट हाऊसों के मामले में पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्रमाण पत्र" शब्दों को जोड़ा जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अरविन्द जैन, उप-सचिव-II

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st March, 2011

No. F. 10(12)/Fin. (Rev-I)/2010-11/DS-II/111.—In exercise of the powers conferred by Section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act No. 10 of 2010), the Government of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the

following rules to amend the Delhi Excise Rules, 2010 namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 2.—In the Delhi Excise Rules, 2010 (hereinafter referred to as the "Principal Rules"), in rule 2 after sub-rule (17) the following sub-rule (17A) shall be inserted, namely :—

> "(17A) guest house means a guest house approved by the Tourism Department, Government of National Capital Territory of Delhi;".

3. Amendment of Rule 32.—In the Principal Rules, in rule 32, in sub-rule (1) at Serial Nos. 22 and 23 in Column No. 3 after the word "hotel" and before the words "to residents", the words "or guest house" shall be inserted, in both the places.

4. Amendment of Rule 51.— In the Principal Rules, in rule 51, in sub-rule (10), for clause (e) the following shall be substituted, namely:—

> "Certificate from the Tourism Department, Government of India for grant of licence in Form L-15 and L-16 in case of hotels and Certificate from the Tourism Department, Government of National Capital Territory of Delhi for grant of licence in Form L-15 in case of guest houses."

5. Amendment of Rule 66.—(1) In the Principal Rules, in rule 66, in sub-rule (9), after the word "hotel" and before the words, "to the residents" the words "or guest house" shall be inserted.

(2) In the Principal Rules, in rule 66, in sub-rule (9) in clause (c) after the word "Government of India" occurring at the end, the words "in case of Hotels and Certificate from Tourism Department, Government of National Capital Territory of Delhi, in case of Guest Houses" shall be added.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ARVIND JAIN, Dy. Secy.-II

गृह पुलिस (1) स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 मार्च, 2011

सं. फा. 10/3/1998/गृह पुलिस-1/स्थापना/5044-5053.—दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1999 (2000 का दिल्ली अधिनियम 1), की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये और इसके सौंपे गए कार्यों को करने के लिये नामांकित करते हैं, अर्थात् :—

क्र. सं.	नाम एवं पता	पदनाम
1.	श्री सफदर एच. खान, डी-II/199, काका नगर, नई दिल्ली-110003	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
2.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह, यूजी 58-59, पालिका प्लेस, पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली	सदस्य (पूर्णकालिक)
3.	श्री माइकिल एंथोनी क्रुज, उपनाम ए.सी. माइकिल बी 1ए/10-सी, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	सदस्य (पूर्णकालिक)

अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा की शर्तें अधिनियम की धारा 4 तथा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग नियमावली, 2000 के नियम 3 एवं नियम 4 के अन्तर्गत यथा उपबन्धित के अनुसार होगा/होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डी. आर. टम्टा, विशेष सचिव

HOME POLICE (I) ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st March, 2011

No. F. 10/3/98/HP-I/Estt./5044-5053.—It exercise of the powers conferred bysub-section (3) of Delhi Minorities Commission Act, 1999 (Delhi Act 1 of 2000), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby, nominates the following persons as the Chairman and the members of the Delhi Minorities Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under the aforesaid Act, namely:—

Sl. No.	Name & Address	Designation
1.	Shri Safdar H. Khan, D-II/199, Kaka Nagar, New Delhi-110003	Chairman (Full time)
2.	Shri Pushpinder Singh UG-58-59, Palika Place, Panchkuian Road, New Delhi	Member (Full time)
3.	Sh. Michael Anthony Cruz, @A.C. Michael B1A/10-C, Janakpuri, New Delhi-110058	Member (Full time)

The term of office and conditions of services of Chairman and Members shall be as provided under Section 4 of the Act and Rule 3 and Rule 4 of the Delhi Minorities Commission Rules, 2000.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

D.R. TAMTA, Spl. Secy.

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 मार्च, 2011

सं. फा. 10(23)/05/भू.व भ./भू.अ./16443.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा 'जी' ब्लाक, हरिनगर में सैन्ट्रल पार्क के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना है ।

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या फा.10(23)/05/भू. व भ./भू.अ./1240, दिनांक 27-4-2010 के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (पश्चिम) को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (पश्चिम) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खसरा नं.	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
तिहाड़	6564.11	835 मिन-840 मिन	6564.11

खसरा नं. 835 मिन (351.11), 836 मिन (740.82), 837 मिन (3390.16), 838 मिन (901.15), 839 मिन (1171.95) 840 मिन (8.92) ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st March, 2011

No. F. 10(23)/05/L&B/LA/16443.—Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for Central Park at 'G' Block, Hari Nagar, New Delhi. It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the land notified u/s. 4 of LA Act, 1894 *vide* Notification No. F 10(23)/05/L&B/LA/1240, dated 27-4-2010 to all whom, it may concern. Under the provisions of Section 7, of the said Act, the Land Acquisition Collector (West), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (West), Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Sq. mtrs.)	Khasra No.	Area (Sq. mtrs.)
Tihar	6564.11	835 min-840 min	6564.11

Khasra No. 835 min (351.11), 836 min (740.82), 837 min (3390.16), 838 min (901.15), 839 min (1171.95), 840 min (8.92).

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.